भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1192

उत्तर देने की तारीख : 10.02.2020

मराठी को क्लासिकल भाषा का दर्जा

1192. श्री गोपाल शेट्टीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मराठी को क्लासिकल भाषा का दर्जा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को भाषा विशेष समिति के विचारार्थ भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार का यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को किस तिथि को प्राप्त हुआ तथा उक्त प्रस्ताव को भाषा विशेषज्ञ समिति के विचारार्थ कब भेजा गया;

(ग) क्या सरकार को उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई;

(ङ) क्या समिति की सिफारिशों पर सरकार ने कोई कार्रवाई की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) : जी हां, संस्कृति मंत्रालय में दिनांक 19.11.2013 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे भाषायी विशेषज्ञ समिति के पास विचारार्थ दिनांक 14.03.2014 को अग्रेषित किया गया था।

(ग) से (च) : भाषीय विशेषज्ञ समिति ने दिनांक 06.02.2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तथापि, इस विषय पर श्री आर. गांधी द्वारा माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं को देखते हुए, रिट याचिकाओं पर निर्णय तक इंतजार करने का निर्णय लिया गया था। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दिनांक 8.8.2016 के सामान्य आदेश के माध्यम से रिट याचिकाओं का निपटान कर दिया है। यह प्रस्ताव पुन: सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। सरकार भाषा को

शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी मानदंडों की समीक्षा कर रही है, जिस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

*****